[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

[illegible] प्रश्न [illegible] : 170

29 [illegible], 2019 [illegible] प्रश्न [illegible]

[illegible]

*170. श्री [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) आयुष्मान भारत योजना के अंतगत लाभार्थियों को संख्या आज को तिथि तक राज्य-वार कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतगत पैनलबद्ध किये गये अस्पतालों को राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत वष के दौरान राजस्थान तथा दिल्ली म इस योजना के अंतगत राज्य-वार कितने लाभार्थियों को सहायता प्रदान को गई है और इस संबंध म कितनी धनराशि जारी और व्यय को गई;

(घ) क्या आयुष्मान भारत योजना के कायान्वयन के उपरान्त प्रधान मंत्री सहायता योजना के अंतगत आवेदकों को संख्या म कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[illegible]

स[illegible]स्थ्य और परिवार कल्या[illegible] [illegible] ([illegible])

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f[illegible] 29 [illegible], 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न [illegible]170 [illegible] [illegible]

(क): आयुष्मान भारत योजना म दो घटक शामिल ह, नामत: (i) आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य कद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया, और (ii) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य कद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) म सेवाएं सभी के लिए समान रूप से नि:शुल्क ह।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत पात्र लाभार्थियों को राज्यवार कुल संख्या और उपचार लेने वाले लाभार्थियों को संख्या अनुलग्लक-I पर है।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत पैनलबद्ध अस्पतालों को राज्यवार संख्या अनुलग्नक-II पर है।

(ग): राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, एबी-एचडब्ल्यूसी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म कायान्वित को जा रही है। एबी-एचडब्ल्यूसी के अंतगत निगत निधि के विवरण अनुलग्नक-III पर ह।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एबी-पीएमजेएवाई को कायान्वित नहों कर रही है। राज्य स्वास्थ्य एजसी द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार राजस्थान म एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत अस्पताल म 25.11.2019 को हुई भर्तियों को संख्या 436303 है। यह योजना राजस्थान म 1 सितंबर, 2019 को प्रारंभ हुई है और राज्य ने अब तक कोई निगत राशि नहों मांगी है। एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत निगत निधि के राज्यवार विवरण अनुलग्नक-IV पर है।

(घ) एवं (ङ): प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से संबंधित कोई प्रश्न अथवा सूचना नियमावली के नियम 41 (2) (viii) और 41 (2) (xvii) एवं लोकसभा म काय संचालन पद्धति के अंतगत स्वीकाय नहों है, क्योंकि निधि कोष पूणत: स्वैच्छिक जन अंश से गठित है, न कि भारत म समेकित निधि के किसी आबंटन से।

*****

[illegible]-I

[illegible]-[illegible] 25.11.2019 [illegible] इसके अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी परिवारों का राज्य[illegible]

[illegible]	[illegible] परिवार (लाख म)*	[illegible] की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.21	43
आंध्र प्रदेश	144	5,08,673
अरुणाचल प्रदेश	0.9	1,359
असम	27	95,768
बिहार	109	1,24,353
चंडीगढ़	0.7	2,317
छत्तीसगढ़	41.5	6,94,964
दादरा और नागर हवेली	0.7	22,291
दमन और दीव	0.5	8,320
गोवा	0.4	10,064
गुजरात	70	10,27,720
हरियाणा	15.5	65,889
हिमाचल प्रदेश	4.8	41,224
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	6.1	43,748
झारखंड	57	3,64,480
कनाटक	115	4,08,788
केरल	40.9	6,11,648
लक्षद्वीप	0.01	1
मध्य प्रदेश	118	2,10,190
महाराष्ट्र	83.6	2,45,386
मणिपुर	2.8	8,766
मेघालय	8.4	83,070
मिजोरम	1.95	26,639
नगालड	5.7	6,017
एनएचसीपी	-	-
पीएसयू	-	-
पुदुच्चेरी	1	146
पंजाब	45.87	64,914
राजस्थान	59.7	4,36,303
सिक्किम	0.4	685
तमिलनाडु	147	7,30,052
त्रिपुरा	4.9	43,102
उत्तर प्रदेश	118	2,40,526
उत्तराखंड	19.7	1,04,013
पश्चिम बंगाल **	111.9	17,636
[illegible]	1,363.14	62,49,095

* उक्त सूचना राज्य योजनाओं के सहयोग से पीएम-जेएवाई के अंतगत समर्थित लाभार्थियों से संबंधित है।
** पश्चिम बंगाल ने जनवरी 2019 से योजना के कायान्वयन को वापस ले लिया है।

□□□ग□□ – II

□□□-पीएमजेएवाई के अंतगंत पैनलबद्ध अस्पतालों को संख्या (25.11.2019 □□)

राज्य	कुल अस्पताल	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	3	0
आंध्र प्रदेश	692	225	467
अरुणाचल प्रदेश	2	2	0
असम	296	157	139
बिहार	752	569	183
चंडीगढ़	17	5	12
छत्तीसगढ़	1341	715	626
दादरा और नागर हवेली	4	4	0
दमन और दीव	3	3	0
गोवा	24	11	13
गुजरात	2856	1820	1036
हरियाणा	506	155	351
हिमाचल प्रदेश	203	149	54
जम्मू और कश्मीर	157	126	31
झारखंड	676	221	455
कनाटक	2849	2422	427
केरल	381	179	202
लक्षद्वीप	1	1	0
मध्य प्रदेश	439	341	98
महाराष्ट्र	456	87	369
मणिपुर	21	14	7
मेघालय	168	154	14
मिजोरम	83	79	4
नगालड	66	60	6
एनएचसीपी	37	12	25
पीएसयू	120	118	02
पुदुच्चेरी	11	6	5
पंजाब	640	205	435
राजस्थान	2049	551	1498
सिक्किम	7	5	2
तमिलनाडु	2257	1170	1087
त्रिपुरा	64	62	2
उत्तर प्रदेश	2312	842	1470
उत्तराखंड	175	101	74
कुल योग	19668	10574	9094

□□त□ □□ 2018-19 □□ 2019-20 □□□□□ □□ष□□□ □□□□ □□□□□/ स□□स्थ्य □□□□□□ग□ कद्रों (व्या□□ प्र□□□□□ स□□स्थ्य परिचया) के अंतगत निगत राशि एवं आबंटन

□□□□ रु. म			
क्र.□□	□□ज□	□□□□ □□□□ (2018-19)	□□□□ (2019-20)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.80	1.43
2	आंध्र प्रदेश	43.51	57.94
3	अरुणाचल प्रदेश	8.15	14.63
4	असम	68.67	91.85
5	बिहार	88.50	122.03
6	चंडीगढ़	0.71	0.94
7	छत्तीसगढ़	36.42	49.42
8	दादरा और नागर हवेली	0.70	1.25
9	दमन और दीव	0.43	0.75
10	दिल्ली	-	9.27
11	गोवा	0.79	1.40
12	गुजरात	44.64	60.13
13	हरियाणा	18.45	24.78
14	हिमाचल प्रदेश	16.08	21.96
15	जम्मू और कश्मीर	32.66	44.48
16	झारखंड	26.02	47.20
17	कनाटक	47.98	64.57
18	केरल	18.43	24.71
19	लक्षद्वीप	0.18	0.32
20	मध्य प्रदेश	87.74	118.73
21	महाराष्ट्र	91.27	121.18
22	मणिपुर	5.44	9.69
23	मेघालय	8.64	11.49
24	मिजोरम	4.03	7.05
25	नगालड	5.01	8.79
26	ओडिशा	48.34	65.22
27	पुदुच्चेरी	14.46	0.85
28	पंजाब	19.69	26.47
29	राजस्थान	83.70	113.72
30	सिक्किम	2.16	3.09
31	तमिलनाडु	56.41	69.86
32	त्रिपुरा	10.18	13.41
33	उत्तर प्रदेश	176.10	237.09
34	उत्तराखंड	19.62	26.68
35	पश्चिम बंगाल	59.47	85.05
36	तेलंगाना	46.14	42.56
□□ □□□		1,191.52	1,600.00

1.उक्त निगत राशि कद्र सरकारी अनुदानों से संबंधित है और इसम राज्य का अंश शामिल नहीं है।

2. वित्त वष समाप्त होने के बाद आबंटन को कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए वित्त वष 2018-19 हेतु निगत राशि प्रदान की गई है।

3. सीपीएचसी म एनआरएचएम और एनयूएचएम के अंतगत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन सीपीएचसी शामिल ह।

[illegible]-IV

[illegible]

क्र.[illegible]	[illegible] का नाम जिसे निधियां निगंत को गई ह	2018-19 [illegible]	2019-20 [illegible]
		[illegible]	[illegible]
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.41
2	आंध्र प्रदेश	182.85	107.12
3	अरुणाचल प्रदेश	2.31	-
4	असम	21.08	82.21
5	बिहार	88.27	-
6	चंडीगढ़	0.68	1.50
7	छत्तीसगढ़	217.43	23.54
8	दादरा और नागर हवेली	3.25	-
9	दमन और दीव	1.02	-
10	गोवा	0.64	0.04
11	गुजरात	77.50	212.33
12	हरियाणा	26.81	50.36
13	हिमाचल प्रदेश	17.18	13.61
14	जम्मू और कश्मीर	20.64	19.26
15	झारखंड	170.17	-
16	कनाटक	159.31	85.90
17	केरल	25.00	36.28
18	लक्षद्वीप	0.00	-
19	मध्य प्रदेश	72.57	84.60
20	महाराष्ट्र	266.32	162.03
21	मणिपुर	7.18	7.18
22	मेघालय	15.57	14.78
23	मिजोरम	17.48	2.58
24	नगालड	4.72	-
25	पुदुच्चेरी	1.52	-
26	पंजाब	2.24	23.95
27	राजस्थान	0.00	-
28	सिक्किम	1.03	-
29	तमिलनाडु	304.98	-
30	त्रिपुरा	12.81	5.60
31	उत्तर प्रदेश	85.01	72.49
32	उत्तराखंड	12.54	7.96
33	पश्चिम बंगाल	31.28	-
[illegible]		1849.55	1013.76

*****